निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान

फोन :– 0141–2612591,फैक्स: 0141–2612592, ई–मेल fa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

कमांकः– गृरमु/लेखा/2022–23/22934–75 दिनांक 5/8/22

परिपत्र

विषयः– अनुपयोगी/नाकारा सामान के निस्तारण बाबत्

अधीनस्थ कार्यालयों से बेसी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान के निरीक्षण/सर्वेक्षण के लिए तथा ऐसे सामान के व्ययन/विक्रय/नीलाम के लिए समिति में मुख्यालय से लेखा प्रतिनिधि के मनोनयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यालय पर राजस्थान लेखा सेवा एवं अधिनस्थ लेखा सेवां के अधिकारियों/कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने तथा मुख्यालय पर वित्त एवं लेखा संबंधी अति आवश्यक कार्य होने के कारण समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के लिए अनुपयोगी/अप्रचलित सामानों के निस्तारण हेतु समितियों में लेखा प्रतिनिधि को मनोनीत किया जाने में कठिनाई अनुभव की जा रही है।

अतः उक्त क्रम में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. अनुपयोगी/अप्रचलित सामान की नीलामी कार्यवाही जिसमें मुख्यालय की लेखा शाखा से मनोनयन की आवश्यकता है, वह निलामी 15.10.2022 के पश्चात की जावे। वित्तीय सलाहकार से विचार विमर्श उपरान्त तिथि का निर्धारण किया जावे।
2. रूपये पांच लाख या इससे अधिक मूल्य की वस्तुओं के मामले में जिसमें मुख्यालय की लेखा शाखा से मनोनयन की आवश्यकता है, नियमानुसार सर्वे की कार्यवाही भी 15.10.2022 के पश्चात प्रारम्भ की जावे। इस हेतु नियमानुसार मुख्यालय स्तर से लेखा प्रतिनिधि के मनोनयन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जावे एवं सर्वे हेतु वित्तीय सलाहकार से विचार विमर्श उपरान्त तिथि का निर्धारण किया जावे।

(यू.आर. साहू) IPS
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, पुलिस
गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. उप महासमादेष्टा–द्वितीय, निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
4. समस्त समादेष्टा/उप समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
5. उप समादेष्टा (भण्डार), गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, पुलिस
गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर